

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।
पत्रांक 2733/14-1 दिनांक : आगरा : 13, दिसम्बर, 2017

सेवा में,

प्रादेशिक प्रबन्धक
रिटेल वी०पी०सी०एल०
रोड नं०-26 इण्डस्ट्रीयल एरिया
साइट-बी मथुरा रिफाइनरी मथुरा।

विषय : आगरा-याह-कचौराघाट मार्ग (एस०एच०-82) के किमी० 81.665 की बायी पटरी पर ग्राम कमालपुरा के खसरा सं०-155 में वी०पी०सी०एल० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0771 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : उ०प्र० शासन का पत्रांक 2039/14-2-2017-800(69)/2017 दि० 09.10.2017
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति कुछ शर्तों के साथ प्रदान की गई है। शर्तों के अनुपालन में आप निम्न प्रकार अनुपालन कर आख्या/अभिलेख इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि आख्या उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके:-

1. वन भूमि के एक्सीलेशन/डी-एक्सीलेशन लेन के निर्माण के लिए वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यक एवं निकास/प्रवेश भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी गार्डेड लाईन्स दि. 24.07.2013 के अन्तर्गत स्वीकृत ले-आउट प्लान के आधार पर होगा।
2. सड़क के किनारे के वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुँचाये उपयुक्त साइन एवं मार्किंग लगाया जाय, जिसमें फयूल स्टेशन का लोकेशन अंकित हो।
3. फयूल स्टेशन के पूरे परिसर में कम दूरी पर (1x1.5 मी०) कम छत्र के वृक्ष का रोपण किया जाय जो बाहरी दीवार से 1.5 मीटर के आफसेट पर शुरू होगा, जो हरियाली बनाये रखेगा तथा यह फयूल स्टेशन के भूमि की आवश्यकता के अतिरिक्त होगा।
4. प्रस्ताव एजेन्सी के द्वारा सम्पर्क मार्ग सेप्रेटर आइसलैण्ड एवं अन्य रिक्त स्थानों पर उपयुक्त वृक्षारोपण किया जायेगा जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण (आदि लागू हो) के अतिरिक्त होगा।
5. प्रत्यावर्तित किये जाने वाले वनभूमि का क्षेत्रफल किसी भी दशा में 0.0771 हे० से अधिक नहीं होगा।
6. प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सं०-202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० सं०-566 एवं भारत सरकार के आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी० की धनराशि रु० 48265.00 की धनराशि (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) के कारपोरेशन बैंक, नई दिल्ली में ऑनलाईन ई-पोर्टल के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा कराकर प्राप्ति रसदी इस कार्यालय में जमा करे।
7. प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सं०-202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० सं०-568 एवं भारत सरकार के पत्र सख्या-5-3/2017-एफ०सी० दि० 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुगन्ध देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी। तदोपरान्त पावती की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या

(जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0पी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् प्रेषित की जाय, तत्पश्चात् ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

8. उपरोक्त आदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पोषारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निम्नाय के कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) नई दिल्ली में ऑनलाइन ई-पोर्टल के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा कराया जायेगा।

9. वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

10. नोडल अधिकारी उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्टें क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।

11. प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फ्लोरा (वनस्पति)/फाना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदारी होंगे। अतः प्रस्तावक विभाग फ्लोरा/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।

12. प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

13. प्रस्तावक विभाग के सम्बन्धित अधिकारी जर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेगा और यदि उक्त व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को कोई क्षति नहीं पहुँचायेगा और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिफल प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

14. प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु रु0 132455.00 की धनराशि (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) के कारपोरेशन बैंक, नई दिल्ली में ऑनलाइन ई-पोर्टल के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा कराकर प्राप्ति रसदी इस कार्यालय में जमा करे।

मिथिदीय
(सिद्धार्थ अम्बेडकर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक / दिनांकित
प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को सूचनाार्थ प्रेषित।

(सिद्धार्थ अम्बेडकर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

प्राक्कलन बाबत बी०पी०सी०एल० द्वारा आगरा-बाह-कधीराघाट मार्ग के कि०मी० 81.665 की बांयी पट्टरी, खसरा नम्बर-155, ग्राम कमालपुरा, तहसील बाह, जिला आगरा में पेट्रोल पम्प स्थापित करने के सम्बन्ध में संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग के लिये प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में 100 पौधों का रोपण एवं अनुरक्षण :-

प्रमाण का नाम :- सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा
 रेंज का नाम :- जैतपुर
 क्षेत्रफल - 0.09 हे०
 प्रति हेक्टेयर रोपित पौध - 1100
 ब्लॉक का नाम - बडागाँव वन ब्लॉक
 विकास खण्ड - जैतपुर

जी०पी०एस० रीडिंग

(A) N 26°50'54.38" E 078°43'4.82"
 (B) N 26°50'54.58" E 078°43'2.60"
 (C) N 26°50'55.08" E 078°43'31.15"
 (D) N 26°50'55.06" E 078°43'4.42"

प्रथम चरण (अग्रिम मुदा कार्य)

क्र०स०	कार्य का नाम	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	प्रति हे०	0.09	67.50	6.075
2	मुदा/जल परीक्षण	प्रति हे०	0.09	396.00	35.64
3	गड्ढों का संरक्षण	प्रति गड्ढा	100	0.28	28.00
4	गड्ढा खुदान (0.60X0.60X0.60)	प्रति गड्ढा	100	12.20	1220.00
5	तारबाड कार्य हेतु सामग्री ग्रहण				
	(1) 185 मीटर लम्बा लम्बा (0.15X0.12 मीटर) आर०सी०सी० खम्भे का मूल्य समस्त करों सहित	प्रति खम्भा	45	404.00	18180.00
	(2) काटदार तार का मूल्य	प्रति टन	0.114	84892.50	9677.75
	(3) काटदार तार का दुत्तान स्थान तक कार्यालय से स्थल तक	स०स० (मी)	0.114		500.00
6	अन्य व्यय				352.54
	योग :-				30000.00


 क्षेत्रीय वन अधिकारी,
 जैतपुर रेंज

प्राक्कलन बाबत बीपीसीएल द्वारा आगरा-बाह-कचौराघाट मार्ग के डि०मी० 81.665 बायी पट्टी, खसरा नम्बर-155, ग्राम कमालपुरा, तहसील बाह, जिला आगरा में पेट्रोल पम्प स्थापित करने के सम्बन्ध में संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग के लिये प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में 100 पीघों का रोपण एवं अनुसंधान :-

प्रभाग का नाम - सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

ब्लॉक का नाम - बड़ागाँव वन ब्लॉक

रेज का नाम - जैतपुर

विकास खण्ड - जैतपुर

क्षेत्रफल - 0.09 हे०

प्रति हेक्टेयर रोपित पीघ - 1100


द्वितीय धरण (वृक्षारोपण)

क्र०स०	कार्य का नाम	इकाई	मात्रा	दर	घनराशि
1	2	3	4	5	6
1	गड्ढा भरान (0.60X0.60X0.60) मीटर गोबर खाद कीटनाशक मिलाकर	प्रति गड्ढा	100	1.59	159.000
2	गड्ढा में गोबर खाद 100 घन फुट खालने हेतु ब्रॉय करना	प्रति घ०मी०	2.86	724.48	2072.01
3	तारबाड कार्य				
	(अ) गड्ढा का खुदान (0.30X0.30X0.45) मीटर	प्रति गड्ढा	45	6.80	306.00
	(ब) खम्भों का पाउंटिंग	प्रति खम्भा	45	196.00	8820.00
	(स) खम्भों का स्थानीय दुलान	प्रति खम्भा	45	10.00	450.00
	(द) तारबाड का स्थानीय दुलान	प्रति टन	0.114	LS	90.00
	(य) तारबाड की खिचाई	प्रति मी०	650	0.85	552.50
4	बड़ी शेली पीघ का क्रय	प्रति पीघ	103	80.00	8240.00
5	बड़ी शेली पीघ 8 से 12 फुट ऊँची का डि०मी० 11 से 20 दूरी से दुलान	प्रति पीघ	103	11.55	1189.65
6	बड़ी शेली पीघ 8 से 12 फुट ऊँचाई का स्थानीय दुलान	प्रति पीघ	103	2.80	288.40
7	पीघारोपण, धागले बन्दी एवं सुरक्षा सिचाई	प्रति पीघ	100	10.90	1090.00
8	पीघों की सिचाई 09 बार	प्रति पीघ	100 X 9	1.70	1530.00
9	पीघों की निराई-गुड़ाई 03 बार	प्रति पीघ	100 X 3	0.90	270.00
10	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक	मानव दिवस	234	174.00	40716.00
11	1 बोर्ड का निर्माण	प्रति बोर्ड	1	3300.00	3300.00
12	अन्य व्यय	ल०स०			926.44
	योग :-				70000.00


क्षेत्रीय वन अधिकारी,

सुपीय धरण (अनुरक्षण प्रथम 20 प्रतिशत बीटिंग अप)

क्र०सं०	कार्य का नाम	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	बडी धोली का पीध का क्रय	प्रति पीध	21	80.00	1680.000
2	पीध का तुलान कि०मी० 21 से 60 तक	प्रति पीध	21	11.55	242.55
3	पीधों की सिघाई 09 बार	प्रति पीध	100 X 9	1.70	1530.00
4	पीधों की निराई-गुहाई 03 बार	प्रति पीध	100 X 3	0.90	270.00
5	काटदार तार की फंरिंग एवं मरम्मत	ल०रा०			1000.00
6	अन्य व्यय	ल०रा०			127.45
	योग :-				4850.00


 क्षेत्रीय वन अधिकारी,
 जैतपुर रोज

घतुर्थ घरण (अनुरक्षण द्वितीय 10 प्रतिगत बीटिंग अप)

क्रमांक	कार्य का नाम	इकाई	मात्रा	दर	घनराशि
1	2	3	4	5	6
1	बडी भेली का पीघ का क्रय	प्रति पीघ	10	80.00	800.000
2	पीघ का दुलान कि०मी० 21 से 60 तक	प्रति पीघ	10	11.55	115.50
3	पीघा की सिघाई 09 बार	प्रति पीघ	100 X 9	1.70	1530.00
4	पीघा की निराई-गुहाई 03 बार	प्रति पीघ	100 X 3	0.90	270.00
5	अन्य व्यय	ल०स०			84.50
	योग :-				2800.00


 क्षेत्रीय पन अधिकारी,
 जंतपुर रज

पंचम धरण (अनुरक्षण तृतीय)

क्र०सं०	कार्य का नाम	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पीछा की सिंचाई 09 बार	प्रति पीछा	100 X 9	1.70	1530.00
2	पीछा की निराई-गुदाई 03 बार	प्रति पीछा	100 X 3	0.90	270.00
	योग :-				1800.00


 क्षेत्रीय वन अधिकारी,
 जैतापुर रेंज

बजट प्रारण (अनुमान पत्रिका)

क्रमांक	कार्य का नाम	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पीछी की सिपाई 09 बार	प्रति पीछ	100 X 9	1.70	1530.00
2	पीछी की निराई-गुलाई 03 बार	प्रति पीछ	100 X 3	0.90	270.00
	योग :-				1800.00


 क्षेत्रीय वन अधिकारी,
 जगतपुर रोज

बजट का ब्ययन (अनुमान भाग)

क्र.सं.	कार्य का नाम	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	कोयल की निरवाई 09 बार	प्रति कोयल	100 X 9	1.70	1530.00
2	कोयल की निरवाई-गुवाई 03 बार	प्रति कोयल	100 X 3	0.90	270.00
	योग -				1800.00


 क्षेत्रीय वन अधिकारी,
 जेतापुर रोज

सामग्री खरप (अनुसूतलत ढषत)

क्र.सं.	कार्य का नाम	इकाई	मात्रा	दर	घनराशि
1	2	3	4	5	6
1	ढीढी की सिघाई 09 बार	ढरति ढीढ	100 X 9	1.70	1530.00
2	ढीढी की निराई-गुडाई 03 बार	ढरति ढीढ	100 X 3	0.90	270.00
	ढीढ :-				1800.00


 क्षेत्रीढ ढन अधिकाडी,
 ढीढपुर रेंढ

अष्टम धरण (अनुरक्षण बजट)

क्र.सं.	कार्य का नाम	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पीछी की सिंचाई 03 बार	प्रति पीछ	100 X 9	1.70	1530.00
2	पीछा की निराई-गुदाई 03 बार	प्रति पीछ	100 X 3	0.90	270.00
	योग :-				1800.00


 क्षेत्रीय वन अधिकारी,
 जेतपुर देज.

नवम् घरण (अनुरक्षण सामग्री)

क्रमांक	कार्य का नाम	इकाई	मात्रा	दर	घनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पीछों की सिघाई 09 बार	प्रति पीछ	100 X 9	1.70	1530.00
2	पीछों की निराई-गुडाई 03 बार	प्रति पीछ	100 X 3	0.90	270.00
	योग :-				1800.00


 क्षेत्रीय वन अधिकारी,
 धौलपुर रेज

दशम घरण (अनुरक्षण अष्टम)

क्र०सं०	कार्य का नाम	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पीछी की सिचाई 09 बार	प्रति पीछ	100 X 9	1.70	1530.00
2	पीछी की निराई-गुडाई 03 बार	प्रति पीछ	100 X 3	0.90	270.00
	योग :-				1800.00


क्षेत्रीय बन् अधिकारी,
जैतपुर रेंज

ख्यारह चरण (अनुरक्षण नदम)

क्रमांक	कार्य का नाम	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पीछा की सिघाई 09 बार	प्रति पीछा	100 X 9	1.70	1530.00
2	पीछा की निराई-गुटाई 03 बार	प्रति पीछा	100 X 3	0.90	270.00
	योग :-				1800.00


क्षेत्रीय वन अधिकारी,
जैतापुर रेंज


बारह परण (अनुरक्षण दराम)

क्र०सं०	कार्य का नाम	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पीघो की सिगाई 09 बार	प्रति पीघ	100 X 9	1.70	1530.00
2	पीघो की निराई-गुडाई 03 बार	प्रति पीघ	100 X 3	0.90	270.00
	योग :-				1800.00


 क्षेत्रीय यन अधिकारी,
 जैतपुर रेज

सारांश

क्र०स०	कार्य का नाम	योग	भविष्य मे कार्य आरम्भ होने के कारण 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ोतरी के आधार पर धनराशि
1	अग्रिम मृदा कार्य	30000.00	30000.00
2	वृक्षारोपण कार्य	70000.00	70000.00
3	अनुरक्षण प्रथम	4850.00	5335.00
4	अनुरक्षण द्वितीय	2800.00	3360.00
5	अनुरक्षण तृतीय	1800.00	2340.00
6	अनुरक्षण चतुर्थ	1800.00	2520.00
7	अनुरक्षण पंचम	1800.00	2700.00
8	अनुरक्षण षष्ठम	1800.00	2880.00
9	अनुरक्षण सप्तम	1800.00	3060.00
10	अनुरक्षण अष्टम	1800.00	3240.00
11	अनुरक्षण नवम	1800.00	3420.00
12	अनुरक्षण दशम	1800.00	3600.00
	योग :-	122050.00	132455.00


 अधीक्षक निदेशक
 सामाजिक बानिकी प्रभाग
 बागवत


 क्षेत्रीय वन अधिकारी,
 जैतपुर रेंज